बजट और नई शिक्षा नीति के सपने।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

सपने और संकल्प में फर्क होता है। डॉ. कस्तूरीरंगन कमेटी ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में अगले 10.15 वर्षों में समूची शिक्षा प्रणाली को बुनियादी रूप से बदलने का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और भविश्योंमुखी स्वप्न दिया है। निश्चित रूप से यह एक कपिल कल्पना नहीं, वरन् एक सुविचारित योजना है। क्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बजट इस विराट स्वप्न को हकीकत में बदलने का संकल्प और सामर्थ्य देता है।

उपरोक्त घोषणाओं के अलावा बजट भाषण में कई अन्य सूचनाएं भी दी गई हैं। जैसे कि विदेशी छात्रों को भारत आकर उच्च शिक्षा पाने के लिए आकर्षित किया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं को एक्रदिटेशन स्कोर के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। खेलों इंडिया के अन्तर्गत राष्ट्रीय खेलकूद शिक्षा बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। एक सराहनीय निर्णय यह भी बताया गया कि एआई, आईओती, बिग Data, 3 dee Printing, Virtual Reality व आदि आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण घोषणा कि गई कि स्टैंड उप इंडिया योजना 2025 तक जारी रहेगी।

लेकिन बजट भाषण और उसकी घोषणाओं में नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए जिस बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों का आबंटन किया जाना था, वो आशाओं के अनुरूप नहीं रहा। अगर हम शिक्षा पर कुल आंवटित राशि को देखें तो यह 94851.64 करोड़ रूपये है जो कि जनवरी, 2019 प्रोविजनल बजट की राशि में से एक हजार करोड़ अधिक है। इस में स्कूली शिक्षा पर रू. 56530 करोड़ के उच्च शिक्षा पर 38317 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

कुल आवंटन 1918–19 के आवंटन से करीब दस हजार करोड रूपये ज्यादा है। यह प्रश्न उठता है कि ड्राफ्ट शिक्षा नीति की अति महत्वाकांशी घोषणाएं क्या मूर्तरूप ले पाएंगी?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में डा. कस्तूरीरंगन कमेटी के अनेक प्रस्तावों पर केंद्रीय सरकार की सहमति घोषित की गई हैं। इस से यह बात तो स्पष्ट है कि सरकार इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को लागू करने कि दिशा में कुद गंभीर दिखती है। बजट भाषण में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति को लागू करके स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में बड़े परिवर्तन किए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुशासन लाया जाएगा। उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान कोश स्थापित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी इस कोश में हर साल रू. 20,000/– करोड़ के प्रधान की बात की गई थी। वित्तमंत्री का कहना है कि

इस के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों की अलग–अलग दी जाने वाली ग्रांटों का एकीकरण किया जाएगा। बजट भाषण में इसके अलावा भी अनुदान दिए जाने की बात कहीं गई हैं।

बजट भाषण में वित्तमंत्री ने विश्वस्तरीय संस्थाओं के विकास के लिय रू. 400/– करोड़ के प्रावधान की बात कहीं हैं जोकि वर्ष 2019–20 के लिए हैं। याद रहे की पिछले वर्ष प्राईवेट सेक्टर की तीन और सरकारी क्षेत्र की तीन विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के रूप में मान्यता दी थी जिनमें सरकारी संस्थाओं को दस साल तक सौ करोड़ प्रतिवर्ष अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई थी। इस का मतलब है कि पिछले साल किए गए वायदे के अलावा सौ करोड़ अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

यहां यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की जो चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं, उनको अमली जामा पहनाना तभी मुमकिन होगा जब कि चौथी औद्योगिक क्रांति की मानव संसाधन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना जल्दी से जल्दी जुटाया जा सके। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने अगले पांच सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के समकक्ष बनाने की बात कही है। 2030 तक उसे 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने का भी हमारा इरादा है। जरा सोचिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा खस्ता हालत को एक अति आधुनिक भविस्योनमुखी शिक्षा प्रणाली में बदलने का काम क्या यह बजट शुरू कर पाएगा।

नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कई वजनदार लक्ष्य देश के सामने रखे गए है। अभी तक जो स्कूली शिक्षा चल रही है उसमें 6 से 18 वर्ष 12 वर्षीय प्री नर्सरी शिक्षा भी जोड़े जाने का प्रस्ताव है। शिक्षा के अधिकार को जो कानून 2009 में बनाा था उसे अब 12वीं कक्षा तक 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से निर्धन लोगों के लिए आरक्षित रहेंगी। स्कूलों में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। हर जग प्रशिक्षित शिक्षकों का टोटा है। नई शिक्षा नीति इस समस्या को हल करने के लिए कई उपाय लेकर आती है। हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे विशाल प्रणालियों में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आती है। अभी करीब 21 करोड़ बच्चे इस में पढ़ रहे है और करीब 85 लाख शिक्षक उन्हे पढ़ाने के काम में लगे हैं।

संख्यात्मक दृष्टि से हमने ऊंचाईयां भले ही हासिल कर ली हो किन्तु गुणवत्ता के पैमाने पर हम दुनिया के अपने जैसे देशों से बहुत पीछे है। मिसाल के लिए असर रिपोर्ट, 2018 के अनुसार ग्रामीण भारत में पांचवी कक्षा के 70 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा के मानकों पर भी खरे नहीं उतरते हैं।

पिछले साल (2018.19) के बजट में स्कूली शिक्षा पर रू. 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था जो कि वर्ष 2014–15 रू. 45722 करोड़ था। इस अवधि सकल राष्ट्रीय आय में स्कूली शिक्षा का बजट 2.55 प्रतिशत से घट कर 2.05 प्रतिशत रह गया।

जहां तक उच्च शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, डॉ. कस्तूरींगन कमेटी ने कई वजनदार सुझाव दिए है। सबसे पहले तो अगले 15 वर्षों में मौजूदा जीईआर को 25.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक हमारे देश की जनसंख्या 145 से 150 करोड़ होने की संभावना है। इस का मतलब है कि अभी जो 3.8 करोड़ विद्यार्थी एक हजार यूनिवर्सिटियों और कालेजों में अध्ययनरत है उनकी तादाद दस करोड़ से भी ज्यादा होगी। क्या वर्ष 2019–20 के बजट में उच्च शिक्षा के उन्नयन और विस्तार के लिए समुचित संसाधन जुटाने की बात की गई है? पिछले साल के बजट में उच्च शिक्षा के लिए रू. 35,000/– करोड़ का प्रावधान किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस का एक बड़ा हिस्सा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी व आईआईएम जैसे नामी गरामी संस्थानों के ऊपर खर्च हो जाता है। तीन सौ से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों और 40,000/– से अधिक कालेंजों के लिए बहुत कम अनुदान मिल पाया है।